भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 866

(जिसका उत्तर मंगलवार, 9 फरवरी, 2021/20 माघ, 1942 (शक), को दिया जाना है

अर्थव्यवस्था में मंदी

866. श्री संजय सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 7.7 प्रतिशत से अधिक का संकुचन होने की संभावना है;

(ख) क्या यह सच है कि वित्तीय वर्ष 2021 में निजी उपभोग व्यय के 9.5 प्रतिशत तक के संकुचन होने और सकल अचल पूंजी निर्माण के, 14.5 प्रतिशत तक संकुचित होने की अपेक्षा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा दिनांक 07 जनवरी, 2021 को जारी जीडीपी के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार, चालू राजकोषीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि में (-) 7.7 प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान है। चालू राजकोषीय वर्ष 2020-21 में मांग पक्ष, निजी उपभोग और सकल नियत पूंजी निर्माण में क्रमश: 9.5 प्रतिशत और 14.5 प्रतिशत संकुचन होने का अनुमान है। जीडीपी के मांग पक्ष घटक के लिए वृद्धि अनुमान का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका: जीडीपी में वास्तविक वार्षिक वृद्धि और मांग पक्ष घटक (प्रतिशत में)	
जीडीपी का मांग पक्ष घटक	**2020-21 (प्रथमअ.अ)**
कुल खपत	-6.9
सरकारी खपत	5.8
निजी खपत	-9.5
सकल नियत पूंजी निर्माण	-14.5
निर्यात	-8.3
आयात	-20.5
बाजार कीमतों पर जीडीपी	**-7.7**

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), एमओएसपीआई

टिप्पणी: प्रथम अ.अ.: प्रथम अग्रिम अनुमान

(ग) वित्त वर्ष 2020-21 में, सरकार ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव से निपटने तथा पुन: आर्थिक वृद्धि के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत 27.1 लाख करोड़ रुपये की राशि वाले आरबीआई द्वारा लिए गए मानदंड, जो भारत की जीडीपी के 13 प्रतिशत से अधिक है, एक विशेष आर्थिक तथा व्यापक पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में, घरेलू मांग के लिए अन्य के साथ-साथ कोई वस्तु तथा नकद अंतरण राहत मानदंड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत रोजगार प्रावधान मानदंड, एमजीएनआईजीएस के तहत बढ़ा हुआ आबंटन, एमएसएमई तथा एनबीएफसी और विनियामक एवं अनुपालन मानदंडों के लिए क्रेडिट गारंटी तथा इक्विटी निवेश-आधारित राहत मानदंड शामिल हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में संरचनात्मक सुधारों की भी घोषणा की गई थी जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ कृषि क्षेत्र का अविनियमन, एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन, नई पीएसयू नीति, कोयला खदानों का वाणिज्यीकरण, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में उच्च एफडीआई सीमा, औद्योगिक भूमि/लैंड बैंक और औद्योगिक सूचना प्रणाली का विकास, सामाजिक अवसंरचना हेतु व्यवहार्यता अंतराल निधियन योजना में सुधार, नई विद्युत प्रशुल्क नीति और क्षेत्र सुधारों को आरंभ करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करना शामिल है। पैकेज के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा जाती है।

केंद्रीय बजट 2021-22 में भी निम्नलिखित सूचीबद्ध 6 स्तंभ कें तहत व्यापक आधार पर तथा संयुक्त आर्थिक विकास हेतु सहायता के लिए कुछ उपायों की घोषणा की है।

i. स्वास्थ्य एवं कल्याण

मुख्य उपायों में तीन क्षेत्रों- रोकथाम, रोग निवारक तथा कल्याण, कोविड-19 टीके के लिए 35000 करोड़ रुपये देश में मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल टीके को उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मिशन पोषण-2.0, जलापूर्ति के लिए सार्वभौमिक क्षेत्र, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0, स्वच्छ वायु स्क्रैपिंग नीति इत्यादि पर ध्यान केंद्रित करने के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा को सशक्त बनाने का समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना शामिल है।

ii. भौतिक तथा वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना

मुख्य उपायों में, 13 क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई), मेगा निवेश टेक्सटाईल पार्क (एमआईटीआरए), 7 टेक्सटाईल पार्क, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) का 7400 परियोजनाओं में विस्तार, अवसंरचना वित्तपोषण के लिए संस्थागत संरचनाओं का सृजन, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, पूंजी बजट में तीव्र बढ़ोत्तरी, आर्थिक गलियारे, प्रमुख गलियारे/एक्सप्रेस वे, भारत (2030) के लिए राष्ट्रीय रेल योजना, भविष्य समर्पित माल ढुलाई गलियारे परियोजना, शहरी अवसंरचना का सशक्तिकरण, राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन 2021-22 का उद्घाटन, 1 करोड़ लाभार्थियों को कवर करती हुई उज्ज्वला योजना का विस्तार, विश्वस्तरीय फिन-टेक हब का विकास, बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक एफडीआई सीमा में बढ़ोतरी, असैट रिकंस्ट्रक्शन एवं असैट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना करना, छोटी कंपनियों की अनुपालन आवश्यकता को सुगम बनाने वाली पीएसबी का पुनर्पूंजीकरण, जमा बीमा तथा क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम, 1961 में संशोधन, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008 को कानूनी रूप देना, एक व्यक्ति वाली कंपनी के निगमन को प्रोत्साहन देकर स्टार्ट-अप तथा नव-प्रवर्तकों को प्रोत्साहन देना, एनसीएलटी रूपरेखा का सशक्तिकरण, रणनीतिक विनिवेश के लिए नई नीति, सरकारी वित्तीय सुधार जैसे ट्रेजरी एकल खाता (टीएसए) प्रणाली का सार्वभौमिक आवेदन, केंद्रीयकृत प्रायोजित योजनाओं का युक्तिकरण, बहु राज्यीय सहकारिताओं का विकास इत्यादि शामिल हैं।

iii. महत्वाकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास
मुख्य उपायों में, सभी सामग्रियों में उत्पादन की लागत के न्यूनतम 1.5 गुना पर एमएसपी सुनिश्चित करना, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्वामित्व योजना का विस्तार, कृषि संबंधी ऋण तथा अवसंरचना निधियों का विस्तार, आधुनिक मत्स्य बंदरगाहों तथा मत्स्य भूमि केंद्रों को विकसित करने के लिए निवेश, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एमएसएमई क्षेत्र को 15,700 करोड़ रुपये बजट आबंटन इत्यादि शामिल हैं।

iv. मानव पूंजी पुनर्जीवित करना

मुख्य उपायों में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 15000 विद्यालयों का गुणात्मक सशक्तिकरण, 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना, भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग, लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय, जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल आवास विद्यालय, अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति योजना, मौजूदा राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) के पुनर्निर्माण जैसे कौशल को बढ़ाने के उपाय इत्यादि शामिल हैं।

v. नवोन्मेष एवं आरएंडडी

मुख्य उपायों में, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान (एनआरएफ) के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपये परिव्यय, भुगतान के डिजिटल तरीकों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन हेतु 1,500 करोड़ रुपये पीएसएलवी-सीएस51 का उद्घाटन, गगनयान मिशन गतिविधियां, डीप ओशन मिशन का उद्घाटन इत्यादि शामिल हैं।

न्यूनतम सरकार एवं अधिकतम शासन

vi. मुख्य उपायों में, अधिकरणों के कार्यान्वयन को तर्कसंगत बनाकर सुधार करने के लिए संसद में राष्ट्रीय संबद्ध स्वास्थ्य व्यवसाय आयोग बिल, 56 संबद्ध स्वास्थ्य व्यवसायों के सहज विनियमन तथा पारदर्शिता को सुनिश्चित करने, नर्सिंग व्यवसाय में पारदर्शिता, कुशलता तथा प्रशासन सुधारों हेतु नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाईफरी कमीशन बिल, संविदात्मक वाद-विवादों के त्वरित समाधान के लिए सुलह तंत्र की स्थापना, भारत के प्रथम डिजिटल सूचकांक के लिए 3768 करोड़ रुपये, असम तथा पश्चिम बंगाल में चाय कर्मचारियों विशेष रूप से महिलाओं तथा उनके बच्चों के कल्याण हेतु 1000 करोड़ रुपये इत्यादि शामिल हैं।

****